प्रजनन में सहायक तकनीकियों के बारे में जानने योग्य दस बातें



समा – महिला एवं स्वास्थ्य के लिए संदर्भ समूह

प्रजनन में सहायक तकनीकियां और उसको सक्षम बनाने वाली सरोगेसी व्यवस्था कुछ समय से मीडिया के घ्यान आकर्षित करने वाला विषय रहे है। आईवीएफ तथा आईयूआई (जिसे इन विट्रो फर्आलाइजेशन व इंट्रायूटिराईन इनसेमिनेशन भी कहा जाता है) जैसी तकनीकियों के साथ साथ नयी पद्वितयां जैसे आईसीएसआई (इंट्रा साइटोप्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन), अण्डाणु को फ्रिज़ में सुरक्षित रखना आदि को भी प्रजनन में सहायक तकनीकियों के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है। आपने विक्की डोनर फिल्म देखी होगी, आमिर खान व शाहरुख खान जैसी हिस्तयों के सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने की खबर पढ़ी होगी या हाल ही में फेसबुक व एप्पल जैसी कम्पनियों द्वारा अपनी महिला कर्मचारियों को अण्डाणु को फ्रिज में सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध कराने की खबर सुनी होगी। इस दस्तावेज में हम प्रजनन में सहायक तकनीकियों के बारें में दस खास बातें बताना चाहते हैं जो समा द्वारा पिछले दस साल से इन मुद्दों पर किये गये काम पर आधारित है।

प्रजनन में सहायक तकनीकियों का कारोबार भारत में बहुत बढ़ा है:-

नब्बे के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा उससे जुडी हुई स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवसायिकरण के पश्चात भारत में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का बेहद विस्तार हुआ है। आज की तारीख में भारत सरकार देश को अन्तर्राष्ट्रीय चिकित्सा पर्यटन स्थान के रूप में प्रचार कर रही है जबकि निजी स्वास्थ्य सेवाओं से अभी गंभीर नैतिक एवं नियंत्रण से जुडे हुए मुद्दे है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति आशा के अनुरुप नहीं है। प्रजनन में सहायक तकनीकियां मुख्य रूप से निजी चिकित्सा बाजार का हिस्सा है (यहां तक कि कुछ सार्वजनिक और ट्रेस्ट अस्पतालों में भी इन सेवाओं को प्रदान किया जा रहा है।) इन अस्पतालों ने अपने चिकित्सा सेवाओं की लम्बी सूची में निम्न सेवाएं जैसे गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, कैंसर आदि को भी जोड़ा है। जोकि अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारियों, विश्व प्रसिद्व पर्यटन स्थल, उच्च स्तरीय चिकित्सा देखभाल, गैरनियंत्रित परिस्थिति जैसे तुलनात्मक फायदों के साथ उच्च तकनीकी भारत कम दामों में दुनिया को बेच रहा है। जहां तक व्यवसायिक सरोगेसी तथा अण्डाणु के दान देने की बात है, भारत में उन भारतीय महिलाओं की पर्याप्त आपूर्ति है जोकि अपने युग्मक या शारीरिक श्रम को बेचने में दिलचस्पी रखती है।

प्रजनन में शहायक तकनीकियां अनुर्वश्ता का मात्र तथा बेहतशिन विकल्प नहीं है :-

अनुर्वरता विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार "एक वर्ष तक गर्भिनरोध तरीके का इस्तेमाल न करते हुए सक्रिय यौन संबंध के बाद भी गर्भ धारण करने में असफलता" इसके कई कारण और उपाय है। बिना इलाज के यौन तंत्र संक्रमण, श्रोणी संक्रमण, तथा अण्डनलिका से जुडी समस्याएं, असुरक्षित गर्भपात, खराब मातृत्व देखभाल, कुपोषण, खून की कमी, साथ ही जीवन शैली, पर्यावरण, प्रदुषण और व्यवसायिक खतरों जैसे कारकों की वजह से भी अनुर्वरता हो सकती है। सार्वजिनक स्वास्थ्य व्यवस्था द्वारा अनुर्वरता के लिए पर्याप्त प्रतिरोधक, निवारक एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। यदि अनुर्वरता की पूरी स्थिति को देखा जाय तो प्रजनन में सहायक तकनीकियों को ही त्वरित तकनीकि समाधान के तौर पर प्रस्तुत करना बहुत अधूरा है। वास्तव में गर्भधारण या गर्भावस्था को पूरा करने में सहायता करते हुए प्रजनन में सहायक तकनीकियां अनुर्वरता के इलाज की जगह उसकी उपेक्षा करती है।

प्रजनन में सहायक तकनीकियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं :-

प्रजनन में सहायक तकनीकियां महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते है। वास्त में प्रजनन में सहायक तकनीकियों की स्वास्थ्य खतरों के बारें में पर्याप्त जानकारी नहीं है। क्योंकि इस बारें में इससे जुड़ी प्रक्रियाओं या दवाईयों के बारें में या इससे मां और बच्चों को होने वाली समस्याओं के बारें में पर्याप्त अध्ययन नहीं हुआ है। इनके उपयोग के कुछ दुष्परिणाम तो स्पष्ट है जैसे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम (ओएचएसएस) अण्डाशय में अत्यधिक उत्तेजना, डिम्बग्नंथि का घुमाव, अण्डाशय का सिकुडना, अण्डनली में गर्भ उहरना (एक्टोपिक प्रेग्नन्सी) भ्रूण की संख्या कम करने की प्रक्रिया से गुजरना, स्वतः गर्भपात कैंसर का खतरा बढ़ना, आपरेशन से प्रसव (सीजेरियन) की संभावना और तनाव इसमें शामिल है। आमतौर पर प्रजनन में सहायक तकनीकियों में उपयोग की जाने वाली दवाईयां पेर्गोनल, ल्युप्रोन, क्लोमीफाईन आदि का अलग प्रकार का दुष्प्रभाव होता है। इसी प्रकार प्रजनन में सहायक तकनीकियों से पैदा हुए बच्चों को भी कई प्रकार के दुष्प्रभावों की विशेष संभावनाएं रहती है जैसे कि समयपूर्व जन्म एवं आनुवांशिक समस्याएं।

प्रजनन में सहायक तकनीकियों पर हुए शोध से कई अनैतिक बातों का खुलासा हुआ है :-

इन तकनीकियों के प्रयोग के दौरान जेण्डर और स्वास्थ्य की दृष्टि से कई अस्वीकार्य बाते सामने आ रही है जैसे कि लिंग चयन, बहु— भ्रूण गरोपण तथा रजनोनिवृत महिलाओं में भी गर्भारोपण आदि। इन तकनीकियों का उपयोग करने वाले लोगों को इसके बारें में पर्याप्त सूचना या जानकारी नहीं है। सूचित अनुमित लेने की प्रक्रिया को महज खानापूर्ति के तौर पर किया जाता है जोकि मानसिक एवं भावनात्मक परामर्श का एक महत्वपूर्ण पहलू है। परामर्श के नाम पर अक्सर खर्चें और इन प्रक्रियाओं के बारें में सिर्फ एक बार जानकारी दी जाती है। यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि इसमें भी लैगिक भेदभाव हो रहा है— जैसे महिलाएं अपने पुरुष साथियों के अपेक्षा अपनी समस्याओं और इलाज के बारें में कम जानकारी रखती है। एआरटी उद्योग में विभिन्न प्रक्रियाओं पर होने वाले खर्च का कोई मानकीकरण नहीं है। इन प्रक्रियाओं का कोई मानकीकृत उपचार, मूल पत्र (प्रोटोकॉल) नहीं है, जोकि उपयोगकर्ताओं के शारीरिक तथा आर्थिक, दोनो तरह के शोषण की संभावना को भी बढ़ाता है। (विस्तृत जानकारी के लिए "गर्भधारण की रचना" को पढ़े)

प्रजनन में सहायक तकनीकियों पर महिलावादी विचार भी भिन्न है :-

राजनैतिक समझ रखने वाले महिलावादी लोगों का इस मुददे पर अलग अलग विचार है। कुछ लोग इसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था की कड़ी समझते है, जोकि महिलाओं के मातृत्व बोझ के ऊपर प्रश्निचन्ह लगाने की बजाय उस दबाव को बनाये रखने का काम करती है।

उनके हिस्साब से ज्यादा प्रजनन विकल्पों के होने से प्रगित नहीं होती। कुछ महिलावादी सोचते है कि इन सभी तकनीकियों में वर्गवादी, वंशवादी और विरासतवादी सोच सिन्निहित है और यह सभी तकनीकियां महिलाओं द्वारा नियंत्रित प्रजनन के क्षेत्र में पुरुष नियंत्रण के लिए जगह बनाती है। इन तकनीकियों के महिलावादी प्रचारकों का यह मानना है कि इन तकनीकियों में प्रजनन की समस्याओं से जीतने की और महिलाओं को स्वतंत्र बनाने की संभावना है। कुछ लोग इन तकनीकियों के फायदे या नुक्सान के विरोध में भी बात करते है। यहां तक कि समलैंगिक महिलावादियों की भी सोच इन मुददों पर एकमत नहीं है, इसलिए कि समलैंगिक लोग इन तकनीकियों की मदद से बच्चा पैदा करने की खुशी मना पाएगे कि नहीं। जहां कुछ लोग इसको गोत्रवादी सोच से हटकर चलने की बात मानते है वही कुछ लोग इसे जैविक गोत्रवाद को बढ़ावा देने जैसा समझते है।

सरोगेशी की व्यवस्थाओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है न कि उसकी नैतिक स्वीकार्यता पर :-

हालांकि सरोगेसी को आमतौर पर बहुत स्पष्टता के साथ प्रतिनिधित्व किया जाता है, जहां कुछ लोग इसे सभी पक्षों के लिए हितकारी समझते हैं, वहीं कुछ लोग इसको पूर्णरुप से शोषित तथा कमजोर वर्ग की महिलाओं को केवल कोख के रूप में परिवर्तित करने की मुहिम के तौर पर विरोध करते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा कहीं इन दोनों के बीच में हो सकती है। इस बात को इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सरोगेट महिलाएं अक्सर गरीब वर्ग से होती है जिनके पास वर्तमान आर्थिक और राजनैतिक परिवेश में बेहतरीन जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते— जिसे बदलने की जरुरत है। इन महिलाओं को अपने जीवन व्यापन के लिए प्रजनन श्रम करना पड़ता है, जबिक उन्हें अपने ही प्रजनन जीवन में न्याय या स्वायतता (मातृत्व मृत्यु या रुगण्ता दर, यौनसंचारित संक्रमण, दबावपूर्ण जनसंख्या नीतियां, वहन योग्य स्वास्थ्य सेवाओं की कमी आदि की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है) नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि इन अन्यायों का हर स्तर पर सामना किया जाये लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि इन महिलाओं के निर्णय को जोकि वे अपनी सीमित परिस्थिति में लेती है, उनको सम्मान के साथ देखा जाये। हमे उनके विकल्पों को सुरक्षित करने के लिए उनका साथ देने की जरुरत है। इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सरोगेसी व्यवस्था में भाग लेने के निर्णय के चलते उनके स्वास्थ्य तथा अधिकारों का हन्न न हो। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम सरोगेसी के सिद्वान्तो पर ना जाये।

प्रजनन में शहायक तकनीकियों से संबंधित नियमन :-

प्रजनन में सहायक तकनीकियों के उद्योग का भारत में क्रियान्वयन एवं विस्तार किसी प्रकार के नियमन के अभाव में हुआ है। 2005 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) एवं राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान शोध संस्थान द्वारा भारत में प्रजनन में सहायक तकनीकि संस्थाओं का अधिकारिक मान्यता निरीक्षण एवं नियमन का राष्ट्रीय दिशानिर्देश प्रकाशित किया था। लेकिन यह कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है। 2008 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा एक प्रस्तावित कानून तैयार किया गया जोकि अनुर्वरता चिकित्सा जगत को नियंत्रित करने के लक्ष्य से था। इन कानूनों को 2010 में प्रस्तावित प्रजनन में सहायक तकनीकियों के लिए नियमक बिल एवं नियम 2010 के तौर पर तैयार किया गया था। प्रचलित समाचार के अनुसार भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव या इसका सुधारा गया प्रारुप को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रस्तावित नियमक बिल को जेण्डर एवं स्वास्थ्य अधिकार की दृष्टि से स्वीकार्य होना चाहिए:-

2010 के कानून मसौदे में कई समस्याजनक प्रावधान है। जैसे कि सरोगेट मां को दिये जाने वाले भुगतान को पांच किस्तों में दिये जाने का प्रावधान रखा है जिसकी 75 प्रतिशत राशी पांचवीं एवं आखिरी किस्त में दी जायेगी जोकि बच्चा पैदा होने के बाद होती है। यह पूर्ण रूप से असंतुलित व्यवस्था है जोकि सरोगेट मां के प्रतिकूल है। प्रस्तावित कानून यह भी कहता है कि सरोगेट मां को नियुक्त करने वाले यह भी सुनिश्चित करे कि सरोगेट मां द्वारा पैदा किये जाने वाले बच्चे एवं मां की पर्याप्त बीमा सुरक्षा हो लेकिन ऐसे बीमा के तौर तरीके एवं सीमा को विस्तार से नहीं बताया गया है। यहीं नहीं प्रस्तावित कानून के अनुसार आईवीएफ—ईटी के माध्यम से ही सरोगेसी की अनुमित दी गयी है जहां पर सरोगेट मां के अण्डाणु का उपयोग नहीं किया जायेगा। कानून के अनुसार आईयूआई द्वारा आनुवांशिक सरोगेसी की अनुमित नहीं दी गयी है जहां पर सरोगेट मां के अण्डाणुओं का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। यह व्यवस्था इसलिए दी गई है कि सरोगेट मां कभी भी बच्चे के ऊपर कोई भी आनुवांशिक दावा न कर सके। स्वास्थ्य के दृष्टि से देखा जाये तो आईयूआई की प्रक्रिया में कम समस्याजनक विकल्प है जो अपरिमित अण्डाणुओं को निकालने से बचाता है। यहां तक कि गृह मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार सरोगेसी की अनुमित केवल उन दम्पतियों के लिए है जिनकी शादी कम से कम दो साल की हो चुकी हैं। यह आदेश पूर्ण रूप से एकल और समलैंगिक व्यक्तियों तथा अविवाहित जोड़ो के प्रजनन अधिकारों को अनदेखा करता है।

प्रजनन में शहायक तकनीकियां कई नैतिक, चिकित्शकीय एवं कानूनी ढुविधा उत्पन्न कश्ती है, जिशको हल कश्ने की जरुरत है:-

प्रजनन में सहायक तकनीकियों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है लेकिन आम जनता एवं शासन की प्रतिक्रियायें उतनी तेज नहीं हैं। प्रजनन में सहायक तकनीकियों के अन्तर्गत यौन अधिकार, बाल अधिकार और विकलागों के अधिकार के कई मुददों की ओर ध्यान केन्द्रित हो चुका है जैसे कि विदेशी दम्पतियों के भारत में सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों की नागरिकता का प्रश्न 2010 का प्रस्तावित कानून संबोधित करने का प्रयास करता है जोकि स्वागत योग्य है। इसके बावजूद कई प्रश्न अब भी असंबोधित है। जैसे कि अतिरिक्त आईवीएफ भ्रूण का स्टमसेल शोध में उपयोग करना, बिना दबाव से लोगों से सूचित सहमित लेने की आवश्यकता तथा प्रजनन में सहायक तकनीकियों के कार्यविधि के बाद बची हुई (बाइ—प्रोडक्ट) आनुवांशिक सामग्रियों का उपयोग करने का अधिकार किसको है, इन मुददों पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कदाचार रोकने की आवश्यकता है जैसे अण्डाशय को अत्यधित उत्तेजित करके अनावश्यक अधिक अण्डाणु निकालना और इसे शोध के लिए इस्तेमाल करना।



समा – महिला और स्वास्थ्य के लिए संदर्भ समूह

बी—45, दूसरी मंज़िल, मैन रोड शिवालिक, मानवीय नगर, नई दिल्ली—110017 दूरभाषः 011—65637632, 26692730; ईमेलः sama.womenshealth@gmail.com वेबसाइटः http://www.samawomenshealth.org